महिला सशक्तिकरण एवं स्वयं सहायता समूह : एक समाजशस्त्रीय विश्लेषण रांची जिले के नामकुम प्रखण्ड के विशेष संदर्भ में।

आभा मिश्रा*

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिषद् द्वारा इस दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं, महिलाओं के संदर्भ में विश्व मानव अधिकार की व्यवस्थाएं इसी अंग के द्वारा कियान्वित की जा रही है। मानव अधिकार किसी देश या राज्य की आन्तरिक या घरेलु अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते है, अपितु ये विश्व मानवता के पक्ष में उसके संरक्षण एवं संवर्द्धन पर बल देते हैं। मानवाधिकार के 10 दिसम्बर 1948 के घोषणा–पत्र के परम् उद्देश्य है–दुनिया के किसी भी भूभाग में निवास करने वाले विश्व मानव समाज के प्रत्येक सदस्य को चाहे वह नर हो या नारी, सम्मानपूर्वक जीने का हक है, ये वे मानवीय अधिकार हैं जो सभी मानव को इस आधार पर मिलने चाहिए, क्योंकि वे मनुष्य हैं, देश या राज्य स्तर पर इनका उपबंधन प्रायः मूल या मौलिक अधिकार के रूप में है। लैंगिक विषमताओं को प्रोत्साहित करने वाली परंपरागत संस्थाओं व संरचनाओं में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे कि महिलाओं की समानता सुनिश्चित हो सके, महिला सशक्तिकरण का आधार माना गया है।

महिला सशक्तिकरण मौजूदा दौर का सर्वाधिक लोकप्रिय नारा ही नही, मौजुदा समय की मांग भी है। मगर यह नारा कुछ वर्षों के प्रयासों का परिणाम नहीं है। दरअसल यह दो–तीन शताब्दियों पहले से ही किसी न किसी रूप में समाज के कुछ विशिष्ट तबकों में पैठ कर चुकी थी। आज से काफी समय पहले से ही नारी सशक्तिकरण की महत्ता समझते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रयास होते रहे हैं। मानवतावादी बुद्धिजीवियों, दार्शनिकों, समाज सुधारकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर जोर दिया गया कि आदर्श विश्व मानव समाज की संस्थापना एकांगी (पुरूष उन्नति मात्र) रूप में संभव नहीं है। प्रत्येक दशा में महिलाओं की उन्नति एंव उसके सम्मान को सवंर्द्धितकरना होगा।

इस अंतराष्ट्रीय प्रयास के अलावा स्थानीय तौर पर निर्मित स्वयं सहायता समूहों ने भी महिलाओं के विकास व सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस शोध पत्र में महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख शब्दः महिला विकास, महिला सशक्तिकरण, महिला स्वधारा योजना, ग्रामीण विकास योजना।

महिला सशक्तिकरण

आज संसार महिलाओं की योग्यता व शक्ति को पहचान चुका है और इसी का प्रभाव है जो यूरोप, एशिया, अमेरीका, अफ्रीका आदि सभी स्थानों पर महिला नेतृत्व की स्थापना हो रही है। संसार में आज तक कितने ही पुरूषों ने तानाशाह के रूप में शासन कर जनता से बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है और ऐसे शासकों द्वारा प्रगति के संबंध में भी कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। आज समय महिलाओं के साथ है और सम्पूर्ण विश्व के वासी अपने घावों पर मरहम लगाने हेतु महिला सशक्तिकरण एवं उसके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे है।

भारत में भी स्वाधीनता के पश्चात् महिला कल्याण व सशक्तिकरण को राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक पोषण मिला। महिलाओं की स्थिति में सुधार तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विधायी, कल्याणकारी एवं विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। अपने

* स्नातकोतर समाजशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची

अधिकार तथा दायित्वों के प्रति जगरूक करने के लिए शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराए गए। साथ ही संविधान निर्माताओं ने परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास में इनकी महता को समझते हुए अनुच्छेदों के माध्यम से समानता और सुरक्षा प्रदान किया है।

भारतीय संविधान के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक समाजिक एवं सांस्कृतिक समानता और स्वतंत्रता प्रदान करने की कोशिश की गई है। संविधान में वर्णित प्रमुख अनुच्छेद –14, 15(3,4), 16, 19, 23, 39(डी), 42, 47, 243(डी–टी) महिला कल्याण व सबलीकरण की दिशा में सभी वर्गो तथा क्षेत्रों की महिलाओं को विकास के आयाम छूने के लिए प्रेरित करते है।[1] कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस प्रकार हैं –

i. अनुच्छेद 15 – इस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्मस्थान के आधार परकिसी के साथ भेद–भाव नही किया जा सकता, चाहे वह महिला हो या पुरूष।
ii. अनुच्छेद 16 – संविधान का यह अनुच्छेद लोक नियाजन में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करता है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते पुरूषों से कम वेतन नहीं दिया जा सकता है।
iii. अनुच्छेद 21 – विधायिका एवं कार्यकारणी दोनों के अतिक्रमण से संरक्षण प्रदान करता है।
iv. अनुच्छेद 23 – मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है तथा शोषण के विरूद्ध अधिकार देता है।
v. अनुच्छेद 45 – में यह अभिप्रेत है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक शिशु जन्म के 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करता है।
vi. अनुच्छेद 345 एवं 326 – सभी नागरिक, स्त्री और पुरूष दोनों को वयस्कता के आधार पर मताधिकार देकर निर्वाचन प्रणाली में लिंग भेद का निषेध करना भी है।

उपर्युक्त अनुच्छेदों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान द्वारा महिलाओं के साथ समानता का वायदा किया गया है लेकिन फिर भी इनके साथ भेद–भाव होता रहा है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में समानता या फिर, शिक्षा व रोजगार में अवसरों की समानता की बात हो परिवार से लेकर समाज तक स्त्रियों के साथ भेद–भाव जारी है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक प्रयासों का वर्ष माना जाता है वर्ष 1974 क्योंकि इसी वर्ष भारतीय महिलाओं की स्थिति के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया।

प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता विकास महिला सशक्तिकरण के दूरगामी लक्ष्य को नवीं पंचवर्षीय योजना के नौ प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया गया। महिलाओं को पुरूषों के 'भागीदार' के तौर पर उभारने की बात की गई। इसी उद्देश्यों के तहत वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई।[2] इसके अतिरिक्त महिला से जुडे सभी क्षेत्रों में विद्यमान संसाधन, बुनियादी सेवाओं को एक दिशा में निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत केन्द्र व राज्य सरकारों को आदेश दिया गया कि किसी भी कार्यक्रम या योजना का कम से कम 20 प्रतिशत् हिस्सा महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों तक पहुंचे तथा इस प्रक्रिया का समुचित मॉनीटरिंग भी हो। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष भी घोषित किया गया। वर्ष 2001–2002 दसंवी पंचवर्षीय योजना (2002–2007) की तैयारी का वर्ष था, इसी वर्ष महिला सशक्तिकरण के विकास पर विशेष बल दिया गया।[3]

महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मुख्यतः शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंध रखता है। नारी की स्थिति एवं उसके सशक्तिकरण के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में इनका अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

वर्तमान में निम्न कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं–

स्टेप–1986–87 में महिलाओं को रोजगार और प्रषिक्षण देने के लिए सहायता देने का कार्यक्रम (स्टेप) केंद्रिय क्षेत्र के योजना के रूप मे शुरू किया गया है इस कार्यक्रम का उद्देष्य परमपरागत क्षेत्रो मे महिलाओं के कौषल में सुधार तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध कराकर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करना है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार के आठ परमपरागत क्षेत्र सम्मिलित किए गये है– कृषि, पषुपालन, हस्तषिल्प, मछलीपालन, डेरी व्यवसाय, हस्तकघा, खादी और ग्रामोउद्योग तथा रेषम कीट पालन। [1]

स्वयसिद्धा – स्वयसिद्धा महिलाओं की अधिकारिता को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु एक समन्वित योजना है। इस योजना का उद्देष्य ग्रामीण महिलाओं में संस्थागत बचत की आदत डालना और आर्थिक संसाधनो पर उनके नियंत्रन को बढ़ावा देना स्थानीय नियोजन में महिलाओं को शामिल करना तथा महिलाओं को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराना है।

स्वषक्ति– ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु स्वषक्ति नाम की परियोजना विष्व बैंक और अंतराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफडी), द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है। यह योजना राज्यों में महिला विकास निगमों या समितियों के माध्यम से लागु की जाती है। इस परियोजना का उद्देष्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए संसाधनो तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना है।

स्वावलम्बन – स्वावलम्बन कार्यक्रम जो मुलतः महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, 1982–83 में नार्वेजीयन एजेन्सी फॉर डेवेलपमंट को आपरेषन (विकास सहयोग के लिए नार्वे की एजेन्सी) की सहायता से शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत महिला विकास निगमों, स्वायत्त संगठनों और सवैक्षिक संगठनो को गैरपंरमपरागत व्यवसाओं में महिलाओं के प्रषिक्षण तथा इन क्षेत्रों में उन्हे सुनिष्चित रूप से रोजगार दिलाने के लिए सहायता दी जाती है।

स्वाधार – वर्ष 2001–02 में केंद्रिय क्षेत्र में उन महिलाओं के लिए स्वाधार नामक योजना आरम्भ की गई है जो कि कठिन परिस्थितियों में पड़ गई है। स्वाधार योजना निम्नलिखित महिलाओं के लिए है– दीनहीन विधवाएँ, जिनमे परिवार वालों ने उन्हें बृंदावन, काषी आदि धार्मिक स्थानों पर बेसहारा छोड़ दिया है, प्रकृतिक आपदा की षिकार ऐसी महिलायें जो बेघर है और उनके पास कोई सामाजिक तथा आर्थिक सहारा नहीं है, जेल से रिहा की गई महिला कैदी जिसे परिवार का सहारा नही है मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएँ जिन्हें परिवार अथवा रिस्तेदारों से कोई मदद नही मिलती, यौन शोषण की षिकार ऐसी महिलायें या लड़कियाँ जिनके परिवार वालों ने उन्हें वापस लेने से मना कर दिया हैं अथवा जो किसी अन्य कारणो से वापस अपने परिवार में नही लौटना चाहती, आतंकवाद की षिकार महिलायें, जिन्हे परिवार का सहारा नही है तथा जिनके पास जीने के लिए आर्थिक जरिया नही है आदि।

परिवार परामर्ष केन्द्र – परिवार परामर्ष केंद्रो का उद्देष्य अत्याचार की षिकार और पारिवारिक असहयोजन की समस्या का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों को रोकथाम और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना है।

अल्पावधि प्रवास गृह – 1969 में अल्पावधि प्रवास गृह योजना महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा आरम्भ की गई। इस योजना का उद्देष्य अनैतिक पतन के खतरे का सामना कर रही या पारिवारिक विवादों की षिकार महिलाओं और बालिकाओं को तीन साल के लिए अस्थायी आश्रम उपलब्ध कराना था।

मानवी संरक्षण अभियान – बालिका भ्रुण हत्या की जघन्य बुराईं से कई भागों में स्त्री–पुरूष अनुपात गड़बड़ा गया है। इसका मुकाबला करने के लिए केंद्रिय समाज कल्याान बोर्ड के माध्यम से मानव संरक्षण अभियान नामक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। [1]

केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी महिला विकास की त्वरित गति हेतु अनेक प्रयास किये जा रहे है।

स्वसहायता समूह – राजस्थान सरकार द्वारा स्वसहायता समुह गठित किया गया है। स्वयसहायता समूह का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सुदृढ़ता निष्चित करना है।

कामधेनु योजना – महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत परित्यक्ता, आश्रयहीन एंव अपंग महिलाओं को स्वरोजार उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी जाती है।

स्वस्थ सखी योजना – उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा चलायी गई इस योजना के अंतर्गत आठवीं कछा तक पढ़ी 18 से 35 वर्ष की अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिडवाइफ के रूप में प्रषिक्षित किया जाएगा तथा इस हेतु 500 रूपये प्रतिमाह चयनित महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।

अपनी बेटी अपना धन योजना– 2 अक्टुबर 1994 से हरियाना सरकार ने यह योजना बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देष्य से आरम्भ की । इस योजना के अतंर्गत अनुसूचित जाति एंव जनजाति के परिवारों के नवजात बालिकाओं के नाम से 2500 रूपये सरकार द्वारा इंदिरा विकास पत्र के माध्यम निवेष कर दिये जाते है तथा 18 वर्ष पष्चात् परपक्वता राषि 25000 रूपये निवेषित कन्या को प्रदान कर दी जाती है।

पंचधरा योजना – 1 नवंबर, 1991 से ग्रामिण एंव आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण एंव विकास हेतु मध्य प्रदेष सरकार द्वारा पंचधरा योजना आरम्भ की गई। इस योजना में विभिन्न उप–योजनाएं शामिल है– 1. वात्सल्य 2. ग्राम योजना 3. आयुषमति योजना एंव 4. सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना।

देवी रूपक योजना – 25 सितम्बर, 2002 को इस योजना की घोषणा की गई जिसका उद्देष्य जनसंख्या नियंत्रन कार्यक्रमों के लिए दंपतियों को जागरूक करना है।

किषोरी बालिका योजना – 11 से 18 वर्ष तक की लड़कियों के पोषण तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने एंव अनऔपचारिक षिक्षा के माध्यम से उन्हे अक्षर एंव अंक ज्ञान देने के उद्देष्य से बिहार सरकार द्वारा यह योजना आरम्भ की गई।

दूसरी ओर अगर महला साक्षरता को देखें तो पाते हैं कि महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। सन् 1951 की जनगणना के अनुसार केवल 8.66 प्रतिशत् महिलाएं ही साक्षर थी। सन् 1991 में साक्षरता दर में वृद्धि देखने को मिली जो 39 प्रतिशत् थी और सन् 2001 में कराए गए जनगणना के बाद महिला साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत् प्राप्त हुआ। पिछले दशक (1991–2001) में महिला साक्षरता दर में 15 प्रतिशत् की वृद्धि होना उत्साहजनक माना जा सकता है। पर, पुरूष साक्षरता दर से काफी कम है।[4]

दशक के दौरान महिला शिक्षा में होने वाला सुधार, अनेक कार्यक्रमों जैसे – महिला समाख्या में होने वाला यह सुधार, अनेक कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0), प्रौढ़ शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का परिणाम भी माना गया।

महिला साक्षरता के संदर्भ में प्रथम तीन स्थान केरल, मिजोरम व गोवा इन तीनों राज्यों को प्राप्त है जहां 75 से 88 प्रतिशत् तक महिलाएं साक्षर है पर बिहार व झारखण्ड जैसे राज्यों की स्थिति इस संदर्भ में सर्वाधिक शोचनीय मानी जा सकती है जहां की महिला साक्षरता दर 40 प्रतिशत् से भी कम है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश व राजस्थान ऐसे राज्य है जहां 50 प्रतिशत् से कम महिलाएं साक्षर है।[5] परंतु इन सभी राज्यों में पिछले दशक में साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है जहा राष्ट्रीय औसत की तुलना में महिला साक्षरता दन निम्न है। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सिर्फ सरकारी प्रयासों के माध्यमों ने ही महिलाओं को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की

है या अन्य गैर सरकारी संस्थाओं की भी इसमें भूमिका रही है। जिसमें स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण हैं।

स्वयं सहायता समूहः स्वयं सहायता समूह एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक हालात वाले ग्रामीण निर्धन आदमियों/महिलाओं का ऐसा समूह है जो स्वयं की सहायता के लिए स्वेच्छा से गठित होते हैं। जिसके सदस्य अपनी आय से छोटी–छोटी एवं आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करने हेतु छोटे बैंक के रूप में कार्य करता है।

स्वयं सहायता समूह के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

i. गरीब महिलाओं में अपनी आय की प्रबंध क्षमता को बढ़ावा देना ताकि वे रूपये की अधिकतम जरूरत अपने स्तर पर पूरी कर सकें।
ii. ग्रामीण महिलाओं में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचत की भावना को प्रोत्साहन देना।
iii. स्वयं सहायता के द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना एवं उन्हें आत्म–निर्भर बनाना।
iv. स्मूह के द्वारा एक शक्ति का विकास होता है जिससे बहुत सी बाधाओं को दूर कर सकती है।
v. बैंक से जुडने के अवसर मिलते है।
vi. मिल–जुल कर निर्माण/सहयोग की भावना का विकास होता है तथा एक दूसरे को उद्यमी बनाने में मदद मिलती है।

झारखण्ड में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार ने बहुत सी योजनायें शुरू की हैं। चुंकी यह प्रमुख रूप से एक कृषि आधारित प्रदेश है। इसलिए कृषि के विकास के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की हैं। जिससे ग्रामीण विकास किया जा सके। जिसमें मुख्य रूप से कृषि का विकास, हैंडिक्राफट, मछली पालन, मुर्गी पालन तथा दूध उत्पादन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये योजनायें मुख्य रूप से महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने का माध्यम बनी हुई है। इसके अंतर्गत सरकार से आर्थिक सहायता महिला समूहों को जिन्हें स्वयं सहायता समूह कहा जाता है, दी जाती हैं।[6] जिससे महिलायें स्वावलंबी बन सकें। इसके अलावा सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु अन्य योजनाओं में महिला स्वधारा योजना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना (गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों, गर्भवती महिलाओं, किशोरीयों को सस्तें दर पर अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से) जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना (महिलाओं को शारीरिक रूप से सशक्त करने हेतु) जननी सुरक्षा योजना (गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु) मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना (गरीब लड़कियों में शैक्षणिक सशक्तिकरण हेतु) वंदेमातरम् योजना (गरीब व पिछड़े वर्गों की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु) कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना (बालिकाओं का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर करने के लिए) राष्ट्रीय महिला कोष ऋण योजना(इस कोष से स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्राप्त कराया जाता है ताकि वे अपनी अजीविका हेतु कुछ कार्य आरंभ कर सके) ऋण प्रमोशन योजना(प्रत्येक समूह को ज्यादा से ज्यादा दो लाख तक ऋण मुहैया कराया जाता है।) मुख्य ऋण योजना(750 रू0 प्रति सदस्यों के हिसाब से ऋण) चक्र कोष योजना (एक मुश्त पच्चास लाख रूपये ऋण) आंगनबाड़ी योजनाएं (महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य शैच्छिक व आर्थिक विकास हेतु) इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न योजनायें भी काफी महत्वपूर्ण रही हैं जिनमें

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम– यह योजना मुख्य तौर पर 1978–79 में प्रारंभ की गई थी जिसका मुख्य उददेश्य ग्रामीण गरीबों को अनुदान और बैंक सुविधा प्रदान करते हुए रोजगार सृजन हेतू प्रेरित

करना था। इसकी के अंतर्गत ट्राइसेम, डवाकरा, सितरा एवं गंगा कल्याण योजना जैसे कार्यक्रम आरंभ किये गये।[7]

मजदूर रोजगार कार्यक्रम– इसके अंतर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाना था। जिसके अंतर्गत सामाजिक संगठन, प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन के कार्यक्रमों को प्राथमिकता की सूची में रखा गया था। ये सिर्फ रोजगार सृजन ही नहीं करते थे बल्कि विविध उददेश्यों को पूरा करने में मदद करते थे। जिसमें सूखा व बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदा से संरक्षा प्रदान करना था। इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शामिल हैं।

सुनिश्चित रोजगार योजना– यह योजना अक्टूबर 1993 में आरंभ की गई जिसमें 1778 सूखा प्रभावित क्षेत्रों जनजातिय क्षेंत्रों एवं पहाड़ी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। यह योजना बाद में देश के सभी प्रखंडों में शुरू की गई। इस योजना में मैन्यूवल कार्य और रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी।[8]

कार्य के बदले अनाज योजना– यह योजना 2000–01 में मुख्यतया छतिसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़िसा, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं उतराखंड तथा झारखण्ड में आरंभ की गई थी। इसका मुख्य उददेश्य रोजगार देते हुए लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। जिसमें राज्यों को मुफत में अनाज उपलब्ध कराये जाते थे।

ग्रामीण आवास योजना– यह योजना 1985 में आरंभ की गई।[9] जिसमें इंदिरा आवास योजना इसका मुख्य अवयव था। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मुफत आवास की सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके लक्ष्यों में एस सी, एस टी, और मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर प्रमुख थे। समग्र आवास योजना को 25 प्रखंडों में आरंभ किया गया जिसके अंतर्गत घर की सुविधा के साथ सुरक्षित पेयजल, नाली व शौचालय प्रमुख रूप से सम्मिलित किये गये थे। हुडको के कार्य को शहरी क्षेत्रों से विस्तारित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाया गया था।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम– इस योजना की शुरूआत 1990 में हुई जिसमें मुख्यताया राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना सम्मिलित हैं। पेंशन में 75 रूपये मासिक, परिवार सहायता में 10000 रूपये परिवार के उपार्जनकर्ता की मृत्यू पर तथा मातृत्व लाभ में 500 रूपये महिने की सहायता प्रदान की जाती थी।

ये योजनायें स्पष्ट करती हैं सरकारी तौर पर दी गई स्वयंसहायता समूहों को सहायता उनके आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जहां तक स्वयं सहायता समूह के प्रयास की बात है तो यह इस बात पर निर्भर करती है कि गरीबों को संगठित करने तथा उन्हें स्वयं गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित किया जाये। स्वयं सहायता समूह एक समान सोच, पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य वाले सदस्यों के छोटे समूह/संगठन हैं जो अपनी सामूहिक क्षमताओं से अपनी समस्याओं का निदान के लिए प्रयत्नशील होते हैं। यह समूह सामाजिक–आर्थिक सकारात्मक परिवर्तन तथा सशक्तीकरण के मंच हैं, जिनके माध्यम से असंगठित गरीब वर्ग संगठित होकर अपने सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं।

नामकुम प्रखण्डः 2001 जनगणना के अनुसार नामकुम प्रखण्ड में 61.10 प्रतिशत साक्षात्कार दर है। जिसमें 74.6 प्रतिशत पुरूष 46.6 प्रतिशत महिला साक्षरता दर है। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 5753 जिसमें 2984 पुरूष और 2769 महिला है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 72276 जिसमें 36680 पुरूष एवं 35596 महिला है।[10]

निष्कर्ष :

गरीबों में निर्भरता या दूसरे शब्दों में दासता की भावना सामान्यतः प्रबल होती है जिसके फलस्वरूप उनमें स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना एवं दुष्कर कार्य जरूर है परन्तु असंभव कदापि

नहीं। सदियों से समाज के एक वर्ग द्वारा शोषित किए जाने के कारण इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है जो समूह गठन में अत्यंत बाधक है। महिलाओं के साथ समूह गठन में एक और बाधा है उनकी झिझक परन्तु सावधानीपुर्वक उनका विश्वास जीतते हुए उन्हें स्वयं सहायता के लिए प्रोत्साहित करना तथा समूह के रूप में संगठित करना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रेरक व गरीबों के बीच एक संवाद विकसित हो जिसके माध्यम से उन्हें जागरूक बनाया जा सके। समूह गठन से पूर्व उचित वातावरण विकसित करना आवश्यक है। समूह में समानता हो, इसके लिए प्रारम्भ से ही ध्यान देने की आवश्यकता है। समूह में समानता हो, इसके लिए प्रारम्भ से ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लोगों को प्रेरित करते समय ही समानता तथा एकरूपता के विषय में स्पष्ट रूप से बताया जाना आवश्यक है। केवल प्रोत्साहित व्यक्तियों को ही उनकी स्वेच्छा से समूह गठित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार प्रारम्भिक दौर में उचित वातावरण विकसित कर विश्वास जीतने की क्रियाएं की जाती है एवं प्रेरित व्यक्तियों के छोटे तथा समान/एकरूपी समूह विकसित किए जाते हैं।

स्वयं सहायता समूह, जिनमें आवश्यक रूप से ऋण–बचत क्रियाकलाप प्रोत्साहित किए जाते हैं गरीबी की आवश्यकता अनुरूप सूक्ष्म ऋण पहुंचाने का एक उपयुक्त माध्यम है। किए गये प्रयासों व अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि यद्यपि गरीबों के पास ऋण को जमानत/रहन स्वरूप देने को कुछ नहीं होता, परन्तु उनमें ऋण वापसी की आदत अपेक्षाकृत अधिक होती है और वह जानबूझकर ऋण अनादयगी कभी न हीं करते। महिला स्वयं सहायता समूहों के अनुभव तो अत्यन्त विस्मयकारी रहे हैं और उनमें शत–प्रतिशत ऋण वसूली पाई गयी है। महिलाओं के समाज के प्रति अपेक्षाकृत अत्यधिक जिम्मेदार व संवेदनशील पाया गया है और देखा गया है कि आपसी एकता के फलस्वरूप समूह में यदि कोई सदस्य ऋण अदा करने में समर्थ नहीं है तो भी और सदस्यों की सहायता व समझबूझ से बैंक को ऋण अदायगी समय से की गई। सूक्षम ऋण को गरीबों तक पहुंचाने में तथा गरीबों को साहूकारी व्यवस्था के शोषक चंगुल से बचाने में स्वयं सहायता समूहों की अहम भागीदारी है। सूक्ष्म ऋण का भी स्वयं सहायता समूहों में एक विशेष योगदान है। इसके माध्यम से सदस्य अपनी अल्प अर्जित बचत से एक–दूसरे की ऋण आवश्यकता को पूरी करते है। उनकी रोजमर्रा की ऋण आवश्यकताओं में शामिल होता है भोजन, कपड़ा, व्यवसाय, बीमारी का इलाज, शादी, ब्याह, त्योहार व पर्व आदि की जरूरतों के लिए ऋण। ऐसी जरूरतों को अपनी अल्प बचत से पूरा करने के परिणामतः आपसी समझ व सद्भाव में वृद्धि होती है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपसी सूझबूझ व विश्वास के फलस्वरूप किए गये ऋण व्यवहारों की अदायगीतो शत–प्रतिशत पाई ही गई है साथ ही उनमें बढ़ी जागरूकता के फलस्वरूप ऋण का बेहतर उपयोग की क्षमता भी विकसित होती है, साथ ही आपसी तालमेल के कारण यदि कोई कठिनाई भी आती है तो सदस्य मिलकर उनका समाधान निकाल लेते है और समय पर ऋण अदायगी सुनिश्चित करते है।[11]

महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी कार्यक्रम चलाये गये उनका एक निश्चित उददेश्य निर्धारित किया गया था। जिसका उददेश्य समानता व समन्वितता के आधार पर विकास करना था। तीव्र विकास तथा नगरीकरण के बावजूद देश की लगभग 70 फीसदी आबादी गावों में ही रहती है।[12] जिसमें निम्न जाति व जनजातिय समूह की संख्या सबसे ज्यादा है। निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी योजनायें बनाई जाती हैं वे इनके लिए अति आवश्यक है परंतु क्या इन योजनाओं का वास्तविक लाभ महिलाओं को मिल पाया यह एक यक्ष प्रश्न है। परंतु फिर भी महिलाओं का एक तबका आवश्यक रूप से इससे प्रभावित हो पाया है। अगर इन स्थितियों को रांची जिले के नामकुम प्रखण्ड में देखें तो पाते हैं महिलाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुए हुए हैं जो न सिर्फ उनके जीवन यापन बल्कि आधारभूत संरचना को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किये हैं। इस प्रखण्ड में अगर इन परिणामों को देखें तो परिस्थितियों में काफी परिवर्तन दिखाई पड़ता है।

संदर्भ सूची :–

1. कश्यप सुभाष, 2001, भारत का संविधान, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली पृ 23
2. डोगरा, भारत, (2004),''वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स' कुरूक्षेत्र वॉल्यूम 50 नं 5, पृ संख्या 40–42
3. त्रिपाठी, के. के. (2004), ''सेल्फ हेल्प ग्रुप्सः ए कैटालिस्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट' कुरूक्षेत्र, 52(8), जून पृ संख्या 40–43
4. भारत की जनगणना 2001
5. भारत की जनगणना 2001
6. विश्नोई, हरि, (2002), 'स्वयं सहायता समूह – आत्मनिर्भर बनने का अनूठा उदाहरण', कुरूक्षेत्र मार्च 2002
7. भारद्वाज, जी, सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट एमंग द वीमेंस ऑफ इंडिया, इन एस सी दूबे एडिटेड, वीमेन हेरिटेज ऑफ इंडियाः एथनिसिटी, आइडेंटिटी एण्ड इंटरऐक्शन, वॉल्यूम 1 विकास पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली पृ 141–160
8. गोपालकृष्णन, बी.के., (1998), स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं को कायम रखना माइक्रो क्रेडिट, 45 समाज कल्याण मार्च, वाल्यूम 12, पृ. 19–20
9. बख्शी, एस, एण्ड वर्मा, आर. भी, (1998), इम्पावरिंग वीमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्सः ए केस स्टडी, कॉन्फ्रेंस पेपरः केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिच्यूट, पीची, पृ 238–240
10. भारत की जनगणना 2001
11. ललिता, एन, और बी.एस.नागराजन, (2002), ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह, नई दिल्ली : प्रमुख प्रकाशक और वितरक, पृ. 22
12. कृष्ण, विजया, आर और दास, अमरनाथ, आर (2003), स्वयं सहायता समूह – आंध प्रदेश जिला में एक अध्ययन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. 32